कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर

क्रमांक/संस्थापन प्रकोष्ठ/लो.स.चु./2019/ 26 दिनांक 15/3/19

—::आदेश::—

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.1(39)।।।/बी/निर्वा./2018/2423 दिनांक 14.03.2018 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में, आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2019 के मध्यनजर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक अजमेर जिले के समस्त राजकीय कार्यालय, बोर्ड, निगम, स्वायतशासी संस्थाओं के समस्त कार्यालयो में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के 02 दिवस तक की अवधि के अवकाश एवं किसी अधिकारी/कर्मचारी के राजकीय/निजी कार्य से मुख्यालय से वाहर रहने पर, सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष अथवा संस्था प्रधान द्वारा निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन इस प्रकार के अवकाश स्वीकृत किये जा सकेंगे:—

1. यह कि सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी लोकसभा आम चुनाव 2019 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन संवंधी किसी भी प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहा/रही है ।
2. भविष्य में सम्बंधित की लोकसभा आम चुनाव, 2019 के तहत ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगती है तो तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो जायेगा/जायेगी ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर दो दिवस से अधिक के सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति प्रदान की जावेगी एवं उपखण्ड/ब्लॉक स्तर पर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) की अनुमति आवश्यक होगी ।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) अजमेर

क्रमांक/सम/ 1086-1150 दिनांक 15/3/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर
2. समस्त प्रभारी अधिकारी .... प्रकोष्ठ, कलेक्ट्रेट, अजमेर
3. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी .... लोकसभा आम चुनाव, 2019 अजमेर
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अजमेर जिला को पालनार्थ ।
5. संयुक्त निदेशक, जिला जन सम्पर्क कार्यालय, अजमेर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
6. एसीपी, कलेक्ट्रेट, अजमेर को जिले की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
7. आदेश पत्रावली

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) अजमेर

Scanned by CamScanner